न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 564 सन 2019
अनवान :–

1. बंशीलाल पुत्र देवीलाल जाति मेधवाल तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रेमकुमार पुत्र मनफुल जाति मूेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर (फोत) 1/1 सिलोचना पत्नी स्व प्रेमकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर 1/2 संजय 1/3 सुमन 1/4 अनीता 1/5 बिन्टू 1/6 रेखा 1/7 विकास 1/8 राकेश पुत्र/पुत्रीयान स्व प्रेमकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
असल प्रतिवादी
2. रायसिह पुत्र हजारीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर। 2/1 सिलोचना पत्नी रामसिह 2/2 प्रियंका पुत्री रमासिह 2/3 सरोज पुत्री रामसिह 2/4 निशा पुत्री रामसिह 2/5 अमित पुत्र रामसिह जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. जयसिह पुत्र भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. हसराज पुत्र भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. कालुराम पुत्र भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. छबीलाराम पुत्र भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. विनोद पुत्र भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. अनदेई पुत्री भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. शकुन्तला पुत्री भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. सीमा पत्नी छोटुराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. राजेन्द्र पुत्र छोटुराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर
13. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर
14. कमलादेवी पत्नी देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
15. रायसाहब पुत्र देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
16. संदीप पुत्र देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
17. सिलोदेवी पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
18. कलावती पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
19. शारदा पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
20. शर्मिला पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
21. विद्यादेवी पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
22. राधादेवी पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
श्री महेश राठोड , मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 06/05/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:20:05 IST
Reason: SelfAttested

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 58/52 के पटवार 353/382(35) के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530हैक किला न0 5 ,6 प्रत्येक 0.2150हैक , किला न0 7 ता 14 प्रत्येक 0.2530हैक , 15 की 0.2150हैक , 16 की 0.2140हैक किला न0 17 ता 19 प्रत्येक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.2530हैक , 20/2 की 0.1260हैक कुल 4.7800हैक प0न0 353/382 मु0न0 82/4 किला न0 0 की 0.1520हैक गै0मु0रास्ता कुल 4.9320हैक भूमि वादी व तरतीब प्रतिवादी संख्या 14 ता 22 का 1/6 हिस्सा असल प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 का 1/3 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है

चन्दुराम फोत हो चुका है जिसकी मृत्यू के बाद कुल 8 वारिस अनकोरी , कमला , किस्तुरी , सावित्री , परमेश्वरी (फोत) पुत्रिया व मनफुल (फोत) हजारीराम (फोत) भादरराम (फोत) है

परमेश्वरी की मृत्यू के बाद इनके जायज वारिसान कृष्ण कुमार , हरिराम , गुडडीदेवी, सरोजदेवी , व हजारीराम की मृत्यू के बाद इनके जायज वारिस रूकमा (पत्नी) व प्रतिवादी संख्या 2 रायसिह पुत्र , जिसमें रूकमा का स्वर्गवास हो चुका है मनफुल के फोत होने के बाद जायज वारिस चावलीदेवी पत्नी, प्रेमकुमार पुत्र देवीलाल पुत्र जिसमें चावली देवी व देवीलाल फोत हो चुके है देवीलाल के फोत होने पर उनके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 20 है तथा भादरराम एव कलावती पत्नी भादरराम फोत होने के बाद इनके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 एव छोटुराम व महावीर हुए जो फोत हो चुके है।

चन्दुराम के फोत हो जाने के बाद वादी के पिता की भुआ अनकोरी , कमला , किस्तुरी , सावत्री पुत्रीया चन्दुराम व मृतक भुआ परमेवरी के वारिसान कृष्ण कुमार , हरिराम , गुडडीदेवी , सरोजदेवी पुत्रीया परमेश्वरी ने अपना जो भी हक हिस्सा था वह प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 की माता रूकमा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 के पिता भादराम के पक्ष में जरिये दस्तबरदारी दिनांक 15.02.2013 से त्याग कर दिया था इसलिये विवादित भूमि में उनका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा।

दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्ताबरदारी सक कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले का सह काश्तकार का उस खाता से हक समाप्त हो जाते है और उस खाता के बकाया सभी काश्तकारों में बहिब हकदार व काश्तकार हो जाते है

दस्तबरदारी दिनांक 15.02.2013 द्वारा अनकोरी , कतला किस्तुरी , सावत्री , पुत्रीया चन्दुराम व परमेश्वरी के वारिसान कृष्णकुमार, हरिराम , गुडडीदेवी , सरोजदेवी पुत्रीया परमेश्वरी का हक समाप्त हो गया तथा अब वाद ग्रस्त भूमि में उनका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा बल्कि वादगस्त भूमि मे इनका हक समाप्त हो गया ओर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 22 एव प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के पक्ष में समाहित हो गया अकेले प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त दस्तबरदारी से कोई हक हकुक हासिल नही होते है इसलिये दस्तबरदारी दिनांक 15.02.213 के आधार पर वादी विवादित भूमि में अपने व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 22 का 1/6 हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी भूआ अनकोरी कमला किस्तुरी सावत्री पुत्रीया चन्दुराम व भुआ परमेश्वरी के वारिसान कृष्ण कुमार , हरिराम गुडडी देवी सरोजदेवी पुत्रीया परमेश्वरी से दिनांक 15.02.2013 को करवाई गई दस्तबरदारी के आधार पर गलत तौर से अपने नाम रजास्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया हक से ज्यादा भूमि दर्ज करवाकर रहन बेय करने पर उतारू है यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये वादी प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कहा की विवादित भूमि जो दावा की मद संख्या 2 में दर्ज हे वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 22 का 1/6 हिस्सा बहिब दर्ज करवा देवे को कुछ दिनों तक टालमटोल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर राही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 58/52 की कुल 4.9350हैक में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 12 बहिब 1/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:20:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मोहर

हिससा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजसव रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाया जाकर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 11, 14 ता 22 के विरूद्व कोई अनुतोष नही होने के कारण तर्क किया तलब नही किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया

चन्दुराम के फोत होने पर उनके वारिसान अनकोरी , कमला किस्तुरी , सावत्री पुत्रीया चन्दुराम एवं परमेश्वरी के वारिसान कृष्णकुमार , हरिराम, गुडडीदेवी सरोजदेवी ने खाता संख्या 58/52 रोही मौजा चक 7 जेएसएन की भूमि में अपना हक हिस्सा प्रेमकुमार , रूकमा , भादरराम के पक्ष मे परित्याग कर सम्पति में अपना हक हस्तारित कर दिया था जो कि सम्पति स्थानान्तरण अधिनियम 1882 के अन्तर्गत वैद्य हे उपरोक्त हक त्याग द्वारा व्यक्ति विशेष के पक्ष में रेलिनववेश डीडी अर्थात हक परित्याग विलेख अथवा दस्तबरदारी निष्पादन करने के द्वारा अपना हक विशिष्ट एवं नामित रूप से प्रेमकुमार रूकमा भादरराम के पक्ष में हक परित्याग किया था सामन्य रूप से पूरे खाता के पक्ष में बगैर किसी विशिष्ट एव नामिक के हस्तातरण साधारण हक त्याग नही किया गयाथा इस तरह की डीड रेलिनवेवेश डीडी कहलाती है जिसमें हक परित्याग कर्ता द्वारा विशेष कथन द्वारा किसी या किन्ही विशिष्ट व्यक्तियों को सम्पति हस्तातरित की जानी है जिसमें सम्पति प्राप्तकर्ता को निर्विवादित रूप से हस्तातरित कर्ता द्वारा हस्तातरण किये गये हिस्से के अनुरूप वा सभी टिनेन्सी अधिकार एव अन्य अधिकार उदभव हो जाते है जो कि पूर्व में हस्तातरण कर्ता के थे।

वादी द्वारा हिन्दु उर्दू मिश्रित भाषा एव उकसा गलता अंग्रेजी अनुवार करके न्यायालय को गुमराह भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है जबकि दिनांक 15.02.2013 की दस्तरदारी लिखत/हक परिल्याग विलेख में जबाब दाता के कथनो के अनुरूप विशिष्ट भाषा एवं भाव से दस्तरदारी हक परित्याग विलेख के कथन अंकित है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमकुमार को चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 56 पुराना 52 की 1.930हैक्ट में से 13/48 हिससा प्राप्त हुआ था उसी अनुसार प्रेमकुमार के वारिसान काबिज है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11एव अन्य की प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हुए हस्तान्तरण से कोई हक हासिल नही होते है नाह ही उनका किसी भी तरह का कोई हिस्सा समायोजित हुआ है।

निष्पादन कर्ताओं के द्वारा दिनांक 15.02.2013 को दस्तबरदारी विलेख उपपंजीयक कार्यालय नोहर में स्वतन्त्र इच्छा से सही निष्पादित हुई है वरवक्त निष्पादन सभी पक्षकारन बालिग स्वस्थ चित थे एव दस्तवरादारी लिखत स्वतन्त्र इच्छा से सही निष्पादित हुई है

जबाब दाता कृषक है एव खेती करते है उन्हे हर तरह से अपने हिस्सा की पैतृक भूमि को उपयोग , उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है वास्तविता मे जबाब दाता के पिता द्वारा (प्रतिवादी संख्या 1) मेहनत एव लाखो रूपये खर्च कर अपने कब्जा काश्त की भूमि को सुधारा गया है वादी व अन्य प्रतिवादीगण षडयन्त्र कर भूमि हडप करना चाहते है वादी किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है

वादी न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आने के कारण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादी के वाद एव प्रतिवादीगण के जबाब दावा के आधार पर तनकी प्रकार से तनकी कायम की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:20:05 IST
Reason: SelfAttested

1. आया कि वादी रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 58/52 की कुल 4.9350हैक्भूमि में वादी व तालीकी प्रतिवादी संख्या 14 ता 22 बहिब 1/6 हिससा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा मे के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है । वादी
2. आया कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने की अधिकारी है कि वह वाद भूमि रहन बेय या अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करे।?

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी

3. आया की प्रतिवादी दस्तवररदारी दिनांक 15.02.2013 के आधार पर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त भूमि में वादी किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है।?

प्रतिवादी संख्या 1

4. आया कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि हडप करने की नियत से वाद पेश किया गया है प्रतिवादी संख्या 1 को दस्तबरदारी से प्राप्त भूमि में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादी संख्या 1

5. आया कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पर किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।?

प्रतिवादी संख्या 1

6. दादरसी

तनकी कायम करने के उपरान्त उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्यवादी में स्वय के ब्यान/शपथ पत्र पेश किया जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई इसीप्रकार साक्ष्यप्रतिवादी में संजयकुमार ने ब्यान/शपथपत्र पेश किया जिरह वादी के द्वारा की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य उभयपक्षो से लिये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 58/52 के प0न0 353/382(35) के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530हैक किला न0 5 ,6 प्रत्येक 0.2150हैक , किला न0 7 ता 14 प्रत्येक 0.2530हैक , 15 की 0.2150हैक , 16 की 0.2140हैक किला न0 17 ता 19 प्रत्येक 0.2530हैक , 20/2 की 0.1260हैक कुल 4.7800हैक प0न0 353/382 मु0न0 82/4 किला न0 0 की 0.1520हैक गै0मु0रास्ता कुल 4.9320हैक भूमि वादी व तरतीब प्रतिवादी संख्या 14 ता 22 का 1/6 हिस्सा असल प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 का 1/3 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है

चन्दुराम फोत हो चुका है जिसकी मृत्यू के बाद कुल 8 वारिस अनकोरी , कमला , किस्तुरी , सावित्री , परमेश्वरी (फोत) पुत्रिया व मनफुल (फोत) हजारीराम (फोत) भादरराम (फोत) है

परमेश्वरी की मृत्यू के बाद इनके जायज वारिसान कृष्ण कुमार , हरिराम , गुडडीदेवी, सरोजदेवी , व हजारीराम की मृत्यू के बाद इनके जायज वारिस रूकमा (पत्नी) व प्रतिवादी संख्या 2 रायसिह पुत्र , जिसमें रूकमा का र्स्वगवास हो चुका है मनफुल के फोत होने के बाद जायज वारिस चावलीदेवी पत्नी, प्रेमकुमार पुत्र देवीलाल पुत्र जिसमें चावली देवी व देवीलाल फोत हो चुके है देवीलाल के फोत होने पर उनके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 ता 20 है तथा भादरराम एव कलावती पत्नी भादरराम फोत होने के बाद इनके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 एव छोटुराम व महावीर हुए जो फोत हो चुके है।

चन्दुराम के फोत हो जाने के बाद वादी के पिता की भुआ अनकोरी , कमला , किस्तुरी , सावत्री पुत्रीया चन्दुराम व मृतक भुआ परमेवरी के वारिसान कृष्ण कुमार , हरिराम , गुडडीदेवी , सरोजदेवी पुत्रीया परमेश्वरी ने अपना जो भी हक हिस्सा था वह प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 की माता रूकमा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 के पिता भादराम के पक्ष में जरिये दस्तबरदारी दिनांक 15.02[illegible] त्याग कर दिया था इसलिये विवादित भूमि में उनका कोई हक हिस्सा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:20:05 IST
Reason: SelfAttested

दस्तबरदारी कोई हस्त[illegible] है दस्तबरदारी सक कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले का सह काश्तकार का उस खाता से हक समाप्त हो जाते है और उस खाता के बकाया सभी काश्तकारों में बहिब हकदार व काश्तकार हो जाते है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दस्तबरदारी दिनांक 15.02.2013 द्वारा अनकोरी , कतला किस्तुरी , सावत्री , पुत्रीया चन्दुराम व परमेश्वरी के वारिसान कृष्णकुमार, हरिराम , गुडडीदेवी , सरोजदेवी पुत्रीया परमेश्वरी का हक समाप्त हो गया तथा अब वाद ग्रस्त भूमि में उनका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा बल्कि वादगस्त भूमि मे इनका हक समाप्त हो गया ओर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 22 एव प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के पक्ष में समाहित हो गया अकेले प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त दस्तबरदारी से कोई हक हकुक हासिल नही होते है इसलिये दस्तबरदारी दिनांक 15.02.213 के आधार पर वादी विवादित भूमि में अपने व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 22 का 1/6 हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 58/52 की कुल 4.9350हैक में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 12 बहिब 1/6 हिससा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजसव रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाया जाकर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की चन्दुराम के फोत होने पर उनके वारिसान अनकोरी , कमला किस्तुरी , सावत्री पुत्रीया चन्दुराम एवं परमेश्वरी के वारिसान कृष्णकुमार , हरिराम, गुडडीदेवी सरोजदेवी ने खाता संख्या 58/52 रोही मौजा चक 7 जेएसएन की भूमि में अपना हक हिस्सा प्रेमकुमार , रूकमा , भादरराम के पक्ष मे परित्याग कर सम्पति में अपना हक हस्तारित कर दिया था जो कि सम्पति स्थानान्तरण अधिनियम 1882 के अन्तर्गत वैद्य हे उपरोक्त हक त्याग द्वारा व्यक्ति विशेष के पक्ष में रेलिनववेश डीडी अर्थात हक परित्याग विलेख अथवा दस्तबरदारी निष्पादन करने के द्वारा अपना हक विशिष्ट एवं नामित रूप से प्रेमकुमार रूकमा भादरराम के पक्ष में हक परित्याग किया था सामन्य रूप से पूरे खाता के पक्ष में बगैर किसी विशिष्ट एव नामिक के हस्तातरण साधारण हक त्याग नही किया गयाथा इस तरह की डीड रेलिनवेवेश डीडी कहलाती है जिसमें हक परित्याग कर्ता द्वारा विशेष कथन द्वारा किसी या किन्ही विशिष्ट व्यक्तियों को सम्पति हस्तातरित की जानी है जिसमें सम्पति प्राप्तकर्ता को निर्विवादित रूप से हस्तातरित कर्ता द्वारा हस्तातरण किये गये हिस्से के अनुरूप वा सभी टिनेन्सी अधिकार एव अन्य अधिकार उदभव हो जाते है जो कि पूर्व में हस्तातरण कर्ता के थे।

वादी द्वारा हिन्दु उर्दू मिश्रित भाषा एव उकसा गलता अंग्रेजी अनुवार करके न्यायालय को गुमराह भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है जबकि दिनांक 15.02.2013 की दस्तरदारी लिखत/हक परिल्याग विलेख में जबाब दाता के कथनो के अनुरूप विशिष्ट भाषा एवं भाव से दस्तरदारी हक परित्याग विलेख के कथन अंकित है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमकुमार को चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 56 पुराना 52 की 1.930हैक में से 13/48 हिससा प्राप्त हुआ था उसी अनुसार प्रेमकुमार के वारिसान काबिज है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11एव अन्य की प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हुए हस्तान्तरण से कोई हक हासिल नही होते है नाह ही उनका किसी भी तरह का कोई हिस्सा समायोजित हुआ है।

निष्पादन कर्ताओं के द्वारा दिनांक 15.02.2013 को दस्तबरदारी विलेख उपपंजीयक कार्यालय नोहर में स्वतन्त्र इच्छा से सही निष्पादित हुई है वरवक्त निष्पादन सभी पक्षकारन बालिग स्वस्थ चित थे एव दस्तवरादारी लिखत स्वतन्त्र इच्छा से सही निष्पादित हुई है

जबाब दाता कृषक है एव खेती करते है उन्हे हर तरह से अपने हिस्सा की पैतृक भूमि को उपयोग , उपभोग करने का अधि[illegible] है वास्तविता मे जबाब दाता के पिता द्वारा (प्रतिवादी संख्या 1) [illegible] अपने कब्जा काश्त की भूमि को सुधारा गया है वादी व अन्य प्रतिवादीगण [illegible]न्त्र कर भूमि हडप करना चाहते है वादी किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है वादी का वाद खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर तनकीवार विवेचन निन्नप्रकार से है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:20:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तनकी न. 1 :– आया कि वादी रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 58/52 की कुल 4.9350हैक्‍ भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 22 बहिब 1/6 हिससा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है ।

तनकी न0 1 का साबित करने का भार वादी पर था वादी ने तनकी न0 को सबित करने के लिये निवेदन किया की

चन्दुराम के फोत हो जाने के बाद वादी के पिता की भुआ अनकोरी , कमला , किस्तुरी , सावत्री पुत्रीया चन्दुराम व मृतक भुआ परमेवरी के वारिसान कृष्ण कुमार , हरिराम , गुडडीदेवी , सरोजदेवी पुत्रीया परमेश्वरी ने अपना जो भी हक हिस्सा था वह प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 की माता रूकमा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 के पिता भादराम के पक्ष में जरिये दस्तबरदारी दिनांक 15.02.2013 से त्याग कर दिया था इसलिये विवादित भूमि में उनका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा।

विवादित भूमि में उनका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तावरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई कास्तकारी हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकास्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व कास्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 15.02.2013 द्वारा अनकोरी , कमला , किस्तुरी , सावत्री पुत्रीया चन्दुराम व मृतक भुआ परमेवरी के वारिसान कृष्ण कुमार , हरिराम , गुडडीदेवी , सरोजदेवी पुत्रीया परमेश्वरी का हक व हिस्सा समाप्त हो गया है एवं दस्तवरदारी दिनांक 15.02.2013 द्वारा हक हिस्सा समाप्त हो गया अब वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है।

दस्तबरदारी दिनांक 15.02.2013 से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक व हकूक हासिल नही हुए बल्कि वादग्रस्त भूमि से अनकोरी , कमला , किस्तुरी , सावत्री पुत्रीया चन्दुराम व मृतक भुआ परमेवरी के वारिसान कृष्ण कुमार , हरिराम , गुडडीदेवी , सरोजदेवी पुत्रीया परमेश्वरी का हक हिस्सा समाप्त हो गया है और खाते के शेष खातेदारों वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में उनका हिस्सा समायोजित हो गया है अकेले प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त दस्तबरदारी से कोई हक व हकूक हासिल नही हुए है उक्त दस्तबरदारी दिनांक 15.02.2013 वादी के हकों के मुकाबले शुन्य है जिसे शुन्य एवं प्रभावहीन करवाकर विवादित भूमि में अपने 1/6 हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

हम वादी के कथनों से सहमत है दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तावरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई कास्तकारी हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकास्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व कास्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 15.02.2013 होने के उपरान्त शेष रहे सहखातेदारों में भूमि बहिब में समायोजित हो जाती है अतः तनकी न0 1 पूर्णरूप से साबित होने के कारण यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 2 :– आया कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने की अधिकारी है कि वह वाद भूमि रहन बेय या अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करे।?

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:20:05 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने इस तनकी को [illegible] की प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहनों एव मृतक बहन [illegible] अपने नाम करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लिया है हक से ज्यादा भूमि [illegible] होने का नाजायज फायदा उठाने के लिये विवादित भूमि रहन बैय एवं मुतंकिल करने पर उतारू है जिससे वादी को अपूर्णीयक्षति होती है इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तनकी न0 1 में साबित हो चुका है कि वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा अर्थात 1/6– 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि 1/6 हिस्सा से अधिक 13/48 हिस्सा दर्ज है अर्थात हक से ज्यादा भूमि दर्ज है यदि प्रतिवादी अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुंतकिल करते है तो वादी को अपूर्णीयक्षति हो सकती है इसलिये वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने का अधिकारी है अतः तनकी न0 2 भी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न. 3 :– आया की प्रतिवादी दस्तवररदारी दिनांक 15.02.2013 के आधार पर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त भूमि में वादी किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है।?

तनकी न0 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादी का कथन है कि दिनांक 15.02.2013 को करवाई गई दस्तबरदारी एक रिलिनववेशन डीड है जिसके आधार पर वादी कोई हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रतिवादीगण काथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि तनकी न0 1 ,में विवेचन किया जा चुका है कि दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तावरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई कास्तकारी हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकास्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व कास्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 15.02.2013 होने के उपरान्त शेष रहे सहखातेदारों में भूमि बहिब में समायोजित हो जाते है अतः तनकी न0 3 प्रतिवादी सांबित करने में नाकाम रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व एव वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 4 :– आया कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि हडप करने की नियत से वाद पेश किया गया है प्रतिवादी संख्या 1 को दस्तबरदारी से प्राप्त भूमि में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

तनकी न. 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था दस्तवरदारी दिनांक 15. 02.2013 के आधार पर प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज है जिसे वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी नही है प्रतिवादीगण का कथन स्वीकार योग्य नही है तनकी न0 1 ता 3 में विवेचन किया जा चुका है कि दस्तबारदारी शेष काश्तकारो के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में वादी दर्ज करवा पाने का अधिकारी है तनकी न0 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व एव वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी न.0 5 :– आया कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पर किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।?

तनकी न0 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादी ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है बिना किसी आधार के खातेदार काश्तकार को पाबन्द नही किया जा सकता है प्रतिवादीगण का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि कि दस्तवरदारी दिनांक 15.02.2013 के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम हक से अधिक भूमि दर्ज हो चुकी है जिसे रहन बेय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने पर वादी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है इसलिये वादी प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है तनकी न0 5 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से पूर्णत्या साबित हो चुका है कि दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तावरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई कास्तकारी हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकास्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व कास्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 15.02.2013 होने के उपरान्त शेष रहे सहखातेदारों में भूमि बहिब में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:20:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बोहर

समायोजित हो जाती है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 (1/1 से 1/8) वाद भूमि में 1/6 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है

तनकीवार विवेचन एव वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात /साक्ष्यों से वादी का वाद पूर्णत्या साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 56/52 की कुल 4.9330हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 22 बहिब 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1(1/1 से 1/8) बहिब 1/6 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खातेदारों का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/05/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:20:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बंशीलाल पुत्र देवीलाल जाति मेधवाल तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रेमकुमार पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर (फोत)
   1/1 सिलोचना पत्नी स्व प्रेमकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर
   1/2 संजय 1/3 सुमन 1/4 अनीता 1/5 बिन्टू 1/6 रेखा 1/7 विकास 1/8 राकेश पुत्र/पुत्रीयान स्व प्रेमकुमार जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर

असल प्रतिवादी

2. रायसिह पुत्र हजारीराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
   2/1 सिलोचना पत्नी रामसिह 2/2 प्रियंका पुत्री रमासिह 2/3 सरोज पुत्री रामसिह 2/4 निशा पुत्री रामसिह 2/5 अमित पुत्र रामसिह जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. जयसिह पुत्र भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. हसराज पुत्र भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. कालुराम पुत्र भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. छबीलाराम पुत्र भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. विनोद पुत्र भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. अनदेई पुत्री भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. शकुन्तला पुत्री भादरराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. सीमा पत्नी छोटुराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. राजेन्द्र पुत्र छोटुराम जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर
13. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर
14. कमलादेवी पत्नी देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
15. रायसाहब पुत्र देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
16. संदीप पुत्र देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
17. सिलोदेवी पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
18. कलावती पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
19. शारदा पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
20. शर्मिला पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
21. विद्यादेवी पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
22. राधादेवी पुत्री देवीलाल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 564 सन 2019 निर्णय दिनांक– 06/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीएव अधिवक्ता प्रतिवादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 56/52 की कुल 4.9330हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 22 बहिब 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 (1/1 से 1/8) बहिब 1/6 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खातेदारों का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:20:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)